उत्तराखण्ड विधान सभा

उत्तराखण्ड विधान सभा
की कार्यसूची

बुधवार, 26 अग्रहायण, शक संवत्, 1930

(दिनांक : 17 दिसम्बर, 2008)

समय : 11 : 00 बजे पूर्वाह्न

1. अल्पसूचित प्रश्न (दिखिए नत्थी "**क**")।

2. अन्य प्रश्न (देखिये नत्थी "**ख**")।

3. निधन के निदेश।

4. मुख्यमंत्री, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 323 (2) के अधीन उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के षष्ठम् वार्षिक प्रतिवेदन (01 अप्रैल, 2006 से 31 मार्च, 2007 तक) को सदन के पटल पर रखेंगे।

5. मुख्यमंत्री, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25 के अन्तर्गत राज्य सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2006-07 को सदन के पटल पर रखेंगे।

(मुद्रित प्रतियां बाद में वितरित की जायेंगी)

6. सभापति, लोक लेखा समिति, उत्तराखण्ड द्वितीय विधान सभा की लोक लेखा समिति (2007-08) का तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

(मुद्रित प्रतियां बाद में वितरित की जायेंगी)

7. सभापति, लोक लेखा समिति, उत्तराखण्ड द्वितीय विधान सभा की लोक लेखा समिति (2007-08) का चतुर्थ प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

(मुद्रित प्रतियां बाद में वितरित की जायेंगी)

8. सभापति, लोक लेखा समिति, उत्तराखण्ड द्वितीय विधान सभा की लोक लेखा समिति (2007-08) का पंचम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

(मुद्रित प्रतियां बाद में वितरित की जायेंगी)

9. सभापति, लोक लेखा समिति, उत्तराखण्ड द्वितीय विधान सभा की लोक लेखा समिति (2007-08) का छठा प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

(मुद्रित प्रतियां बाद में वितरित की जायेंगी)

10. सभापति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति, उत्तराखण्ड द्वितीय विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम निगम समिति (2007-08) का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

(मुद्रित प्रतियां बाद में वितरित की जायेंगी)

11. सभापति, आश्वासन समिति, उत्तराखण्ड द्वितीय विधान सभा की आश्वासन समिति (2007-08) का ग्यारहवाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

(मुद्रित प्रतियां बाद में वितरित की जायेंगी)

12. सभापति, आश्वासन समिति, उत्तराखण्ड द्वितीय विधान सभा की आश्वासन समिति (2007-08) का बारहवाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

(मुद्रित प्रतियां बाद में वितरित की जायेंगी)

13. सभापति, आश्वासन समिति, उत्तराखण्ड द्वितीय विधान सभा की आश्वासन समिति (2007-08) का तेरहवाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

(मुद्रित प्रतियां बाद में वितरित की जायेंगी)

14. सभापति, याचिका समिति, उत्तराखण्ड द्वितीय विधान सभा की याचिका समिति (2007-08) का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

15. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।

16. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।

17. नियम 315 के खण्ड (13) व (14) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।

18. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।

19. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।

20. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करेंगे।

21. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद (संशोधन) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।

22. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद (संशोधन) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करेंगे।

23. पंचायतीराज मंत्री, उत्तराखण्ड पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।

24. पंचायतीराज मंत्री, उत्तराखण्ड पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करेंगे।

25. उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम-315 के खण्ड (22) के अन्तर्गत मा0 अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।

(कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों के लिए देखिए नत्थी-**"ग"**)

26. कार्यस्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।

27. मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2008 पर विचार किया जाय (15 मिनट)।

28. मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2008 पारित किया जाय।

29. मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975) (संशोधन) विधेयक, 2008 पर विचार किया जाय (15 मिनट)।

30. मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975) (संशोधन) विधेयक, 2008 पारित किया जाय।

31. वित्तीय वर्ष 2007-2008 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान :-

(1) संसदीय कार्य मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-01 विधान सभा के अन्तर्गत **रू0 10000 हजार (एक करोड़)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिए स्वीकार की जाय।

(2) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-04 न्याय प्रशासन के अन्तर्गत **रू0 115623 हजार (ग्याहर करोड़ छप्पन लाख तेइस हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिए स्वीकार की जाय।

(3) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-05 निर्वाचन के अन्तर्गत **रू0 97400 हजार (नौ करोड़ चौहत्तर लाख)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिए स्वीकार की जाय।

(4) राजस्व मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत **रू0 379877 हजार (सैतीस करोड़ अठ्ठानवे लाख सतहत्तर हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिए स्वीकार की जाय।

(5) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं के अन्तर्गत **रू0 4112652 हजार (चार सौ ग्यारह करोड़ छब्बीस लाख बावन हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिए स्वीकार की जाय।

(6) आबकारी मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-08 आबकारी के अन्तर्गत **रू0 2950 हजार (उन्नतीस लाख पचास हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिए स्वीकार की जाय।

(7) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-10 पुलिस एवं जेल के अन्तर्गत **रू0 1123828 हजार (एक सौ बारह करोड़ अड़तीस लाख अठाईस हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिए स्वीकार की जाय।

(8) शिक्षा मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति के अन्तर्गत **रू0 2267268 हजार (दो सौ छब्बीस करोड़ बहत्तर लाख अड़सठ हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिए स्वीकार की जाय।

(9) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत **रू0 1022694 हजार (एक सौ दो करोड़ छब्बीस लाख चौरनवे हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिए स्वीकार की जाय।

(10) पेयजल मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास के अन्तर्गत **रू0 808416 हजार (अस्सी करोड़ चौरासी लाख सोलह हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिए स्वीकार की जाय।

(11) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-14 सूचना के अन्तर्गत **रू0 9200 हजार (बयानवे लाख)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिए स्वीकार की जाय।

(12) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-15 कल्याण योजनाएं के अन्तर्गत **रू0 411941 हजार (इक्तालीस करोड़ उन्नीस लाख इक्तालीस हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिए स्वीकार की जाय।

(13) श्रम मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-16 श्रम और रोजगार के अन्तर्गत **रू0 111982 हजार (ग्यारह करोड़ उन्नीस लाख बयासी हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिए स्वीकार की जाय।

(14) कृषि मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान के अन्तर्गत **रू0 921478 हजार (बयानवे करोड़ चौदह लाख अठ्हत्तर हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिए स्वीकार की जाय।

(15) सहकारिता मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-18 सहकारिता के अन्तर्गत **रू0 15000 हजार (एक करोड़ पचास लाख)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिए स्वीकार की जाय।

(16) ग्राम्य विकास मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-19 ग्राम्य विकास के अन्तर्गत रू0 **243633 हजार (चौबीस करोड़ छत्तीस लाख तैंतीस हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिए स्वीकार की जाय।

(17) सिंचाई मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-20 सिंचाई एवं बाढ़ के अन्तर्गत **रू0 756612 हजार (पचहत्तर करोड़ छियासठ लाख बारह हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिए स्वीकार की जाय।

(18) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-22 लोक निमार्ण कार्य के अन्तर्गत **रू0 830500 हजार (तिरासी करोड़ पांच लाख)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिए स्वीकार की जाय।

(19) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-23 उद्योग के अन्तर्गत **रू0 80963 हजार (आठ करोड़ नौ लाख तिरसठ हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिए स्वीकार की जाय।

(20) परिवहन मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-24 परिवहन के अन्तर्गत **रू0 26905 हजार (दो करोड़ उन्हत्तर लाख पांच हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिए स्वीकार की जाय।

(21) पर्यटन मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-26 पर्यटन के अन्तर्गत **रू0 3567 हजार (पैंतीस लाख सड़सठ हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिए स्वीकार की जाय।

(22) वन मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-27 वन के अन्तर्गत **रू0 453500 हजार (पैंतालीस करोड़ पैंतीस लाख)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिए स्वीकार की जाय।

(23) पशुपालन मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-28 पशुपालन सम्बन्धी कार्य के अन्तर्गत **रू0 85610 हजार (आठ करोड़ छप्पन लाख दस हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिए स्वीकार की जाय।

(24) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-29 औद्यानिक विकास के अन्तर्गत **रू0 141173 हजार (चौदह करोड़ ग्यारह लाख तिहत्तर हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिए स्वीकार की जाय।

(25) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-30 अनुसूचित जातियों का कल्याण के अन्तर्गत **रू0 137887 हजार (तेरह करोड़ अठ्हत्तर लाख सत्तासी हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिए स्वीकार की जाय।

(26) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण के अन्तर्गत **रू0 24412 हजार (दो करोड़ चौवालीस लाख बारह हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिए स्वीकार की जाय।

32. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड विनियोग (2008-2009 का अनुपूरक) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।

33. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड विनियोग (2008-2009 का अनुपूरक) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करेंगे।

34. मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड विनियोग (2008-2009 का अनुपूरक) विधेयक, 2008 पर विचार किया जाय।

35. मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड विनियोग (2008-2009 का अनुपूरक) विधेयक, 2008 पारित किया जाय।

36. नियम 53 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।

37. ''उत्तराखण्ड में पैरामैडिकल काउन्सिल का गठ्न कर विभिन्न स्नातक तथा परास्नातक पैरामैडिकल पाठ्यक्रमों के पंजीकरण की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध मे'' श्री गोविन्द लाल शाह, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 15 दिसम्बर, 2008 को दी गई सूचना पर, मुख्यमंत्री का नियम-53 के अन्तर्गत वक्तव्य।

38. ''हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर को केन्द्रीय विश्वविद्यालय घोषित किये जाने के उपरान्त इसके अंशकालिक शिक्षकों को उचित प्रकार से समायोजित किये जाने के संबंध में'' श्री यशपाल बेनाम, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 15 दिसम्बर, 2008 को दी गई सूचना पर, मुख्यमंत्री का केवल वक्तव्य।

आज्ञा से,

देहरादून :
दिनांक : 17 दिसम्बर, 2008

(महेश चन्द्र)
सचिव।

उत्तराखण्ड विधान सभा
की कार्यसूची

बुधवार, 26 अग्रहायण, शक संवत्, 1930

(दिनांक : 17 दिसम्बर, 2008)

नत्थी ''क''

अल्पसूचित प्रश्न

श्री गणेश जोशी
26–11–2008

** क्या ग्राम्य विकास मंत्री अवगत हैं कि राज्य के जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों में 234 कर्मचारी/अधिकारी कार्यरत है जो कि ग्राम्य विकास से सम्बन्धित योजनाओं के संचालन का कार्य करते हैं? क्या यह सत्य है कि भारत सरकार इन कर्मचारियों को समायोजित करने के लिए वर्ष 1999 से बराबर राज्य सरकार को पत्र लिख रही है। क्या यह भी सत्य है कि जिला ग्राम्य विकास अभिकरण कर्मी ग्राम्य विकास विभाग/पंचायत राज विभाग में समायोजन की मांग को लेकर आन्दोलनरत है? यदि हां, तो क्या सरकार इन्हें समायोजन किये जाने पर विचार करेंगी? यदि नहीं, तो क्यों?

ग्राम्य विकास

नत्थी "ख"

तारांकित प्रश्न

श्री गोपाल सिंह राणा 6–10–2008	*1. क्या वन मंत्री अवगत हैं कि जनपद ऊधमसिंह नगर में भारत नेपाल सीमा में बहने वाली जगबूढ़ा नदी के कारण ग्राम मेलाघाट सिसैमा में भारत नेपाल सीमा को भूमि कटाव से प्रभावित कर रही है? यदि हाँ, तो क्या सरकार भारत नेपाल सीमा में बहने वाली जगबूढ़ा नदी से होने वाले भूमि कटाव को रोकने के लिए कोई योजना बना रही है? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?	**वन**
डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल 10–10–2008	*2. क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पहाड़ी नदियों के तट एवं तलों पर 'बायोमास' पैदा करने की कोई योजना वन विभाग द्वारा बनाई जा रही है? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?	**वन**
श्री सुरेन्द्र राकेश 14–10–2008	*3. क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि जनपद हरिद्वार में औद्योगिक क्षेत्रों से सटे हुए गांव में पीने का पानी दूषित हो गया है? क्या सरकार द्वारा इन गांवों में पीने के पानी की जांच कराई गई? यदि हाँ, तो जांच के क्या परिणाम रहे तथा पानी दूषित होने के क्या कारण हैं? क्या सरकार जनहित में इन कारणों को दूर करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	**पेयजल**
श्री सुरेन्द्र राकेश 16–10–2008	*4. क्या सिंचाई एवं बाढ नियन्त्रण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार के ब्लाक भगवानपुर में नदियों में बाढ़ के कारण कितनी हे0 कृषि योग्य भूमि नष्ट हो गयी है? क्या सरकार कृषि योग्य भूमि के बचाव हेतु कोई ठोस उपाय करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	**चतुर्थ गुरूवार के तारांकित 1 में स्था0**
श्री सुरेन्द्र राकेश 16–10–2008	*5. क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि क्या उनके द्वारा उत्तराखण्ड की प्रत्येक विधान सभा में दो–दो पेयजल योजना बनवाने की घोषणा की गयी है? यदि हाँ, तो उत्तराखण्ड की कितनी विधान सभा क्षेत्र में अब तक पेयजल योजना का निर्माण कर दिया गया है? यदि हां तो कब? यदि नहीं तो क्यों?	**पेयजल**
श्री नारायण पाल 20–10–2008	*6. क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में वन भूमि पर बसे लोगों को अन्यत्र बसाने के लिए कितने ग्रामों को पुनर्वास की परिधि में लिया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?	**वन**
श्री नारायण पाल 20–10–2008	*7. क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि नैनीताल जनपद के चोरगलिया में नंधौर नदी व देवा नदी का रूट/प्रवाह गलत दिशा में प्रवाहित होने के कारण बाढ़ से हजारों ग्रामवासी प्रभावित हो रहे हैं? यदि हाँ, तो क्या सरकार बाढ़ के प्रवाह की रोकथाम के लिए कोई कारगर कदम उठा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?	**सिंचाई**

श्री किशोर उपाध्याय 31–10–2008	*8. क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में मृतकों के आश्रितों को सहायता प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा किसी नीति का निर्धारण किया गया है? यदि हाँ, तो उसका स्वरूप क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?	**परिवहन**
श्री किशोर उपाध्याय 03–11–2008	*9. क्या पर्यावरण मंत्री अवगत हैं कि जनपद देहरादून के रानी पोखरी (डांडी) में स्थित चूना भट्टा के कारण (मै0 भारतीय केमिकल, रानी पोखरी) वहां के स्थानीय निवासियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है? यदि हाँ, तो सरकार उक्त समस्या के निराकरण के संबंध में क्या कदम उठा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?	**पर्यावरण**
श्री किशोर उपाध्याय 03–11–2008	*10. क्या पर्यावरण मंत्री अवगत हैं कि राज्य में स्थापित 'स्टोन क्रेशरों' द्वारा पर्यावरणीय मानकों का अनुपालन किया जा रहा है? यदि नहीं, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्रवाई कर रही हैं?	**पर्यावरण**
श्री यशपाल बेनाम 04–11–2008	*11. क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पौड़ी नगर के लिये स्वीकृत नानघाट पेयजल योजना के लिये अभी तक कितनी धनराशि अवमुक्त हो चुकी है और कार्य की प्रगति क्या है? क्या यह सत्य है कि केन्द्र सरकार द्वारा उक्त योजना के लिये धनराशि देने से इन्कार कर दिया है? यदि हाँ, तो क्या राज्य सरकार इस योजना को पूर्ण करायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	**पेयजल**
कुँवर प्रणव सिंह 'चैम्पियन' 06–11–2008	*12. क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा पृच्छित द्वितीय सत्र 2007 के तारांकित प्रश्न संख्या 8 के क्रम में बताने का कष्ट करेंगे कि जंगली जानवरों (जंगली जानवरों, वन रोज, आदि) से प्रभावित हरिद्वार तहसील जनपद की लकसर क्षेत्र को, ''प्रभावित क्षेत्र'' घोषित कर, इस परिक्षेत्र में इनको मारे जाने हेतु विशेष नीति गठित कर, अग्रिम कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?	**वन**
कुँवर प्रणव सिंह 'चैम्पियन' 06–11–2008	*13. क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि जनपद हरिद्वार में गत दो वर्ष पूर्व स्वीकृत केन्द्र पुरोनिधानित परियोजना (बाढ़ नियंत्रण) गंगा नदी के दाएं किनारे पर भोगपुर से बालावाली तक कार्जिनल तटबंध निर्माण कार्य पिछले एक वर्ष से रूका हुआ है? यदि हाँ, तो उक्त निर्माण कार्य को रोके जाने के क्या कारण हैं? क्या राज्य सरकार द्वारा राज्यांश धनराशि केन्द्रांश के अनुरूप स्वीकृत कर दी गई है? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त परियोजना हेतु यथाशीघ्र धनराशि जारी करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	**सिंचाई**

अतारांकित प्रश्न

श्री गोपाल सिंह राणा 6–10–2008	**1.** क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अनुसूचित जन–जातियों और अन्य परम्परागत वन निवासियों को वन विभाग से जलौनी लकड़ी हक हकूक के रूप में माफी की इमारती लकड़ी प्रदान की जायेगी? यदि हाँ, तो क्या जलौनी लकड़ी अथवा हक हकूक की माफी की लकड़ी वर्ष 2008–2009 में भी दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	**वन**
श्री गोपाल सिंह राणा 7–10–2008	**2.** क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंह नगर में बहने वाली शारदा मुख्य नहर में जगबूढ़ा नदी के साइफन के पास से पूर्वी तराई वन प्रभाग के किलपुरा रेंज के मध्य से होते हुए कामिनी नदी में मिलाकर नानक सागर पोषक नहर निर्माण की कोई योजना है? यदि हाँ, तो नहर निर्माण का कार्य कब से प्रारम्भ हो जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	**सिंचाई**
श्रीमती अमृता रावत 14–10–2008	**3.** क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सम्भागीय परिवहन अधिकारी पौड़ी के दिनांक 07–05–2008 के पत्र संख्या–120/स0प0 प्रा0 –नये मार्ग/07 के द्वारा जनपद पौड़ी के 52 जनपद रूद्रप्रयाग के 2 तथा जनपद चमोली के 18 मार्गों को मार्ग सूचियों में सम्मिलित किये जाने तथा अधिकांश मार्गों पर बस सेवायें संचालित होनी प्रारम्भ किये जाने की जानकारी दी गई है? यदि हाँ तो इन 72 मार्गों का विवरण क्या है तथा इन मार्गों पर संचालित बस सेवाओं का विवरण और निर्धारित समय सारिणी क्या है? क्या इन सभी 72 मोटर मार्गों पर नियमित बस सेवायें संचालित हो रही हैं? यदि हां तो कब? यदि नहीं तो क्यों?	**परिवहन**
श्रीमती अमृता रावत 14–10–2008	**4.** क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि लोक निर्माण विभाग के पौड़ी स्थित प्रान्तीय खण्ड के कार्य क्षेत्रान्तर्गत बहेड़ाखाल–खाण्डा हल्का वाहन मार्ग को मोटर मार्ग में परिणित करने के कारण ग्राम बहेड़ा की पेयजल योजना पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गयी है जिसके कारण ग्रामवासी पेयजल संकट से जूझ रहे हैं? यदि हां तो पेयजल विभाग द्वारा इस योजना की क्षतिपूर्ति/पुनर्निर्माण कराने/करवाने की दिशा में लोक निर्माण विभाग को कार्यवाही किये जाने और क्षतिग्रस्त योजना का पुनर्निर्माण करवाये जाने हेतु अवगत कराया गया है? उक्त पेयजल योजना का निर्माण कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा? यदि नहीं तो क्यों?	**पेयजल**

श्रीमती अमृता रावत 14–10–2008	**5.** क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र बीरोंखाल की परिवहन समस्याओं के समाधान हेतु उत्तराखण्ड, परिवहन निगम लि0 की बस संवाओं के संचालन के सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड, परिवहन निगम, देहरादून को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्रांक–219/विधायक/07– परिवहन/2007–08 दिनांक 13–11–2007 पत्रांक संख्या –323/विधायक/07–परिवहन 2007–08 दिनांक 20–11–2007, पत्रांक संख्या– 674/विधायक /07–परिवहन 2007–08 दिनांक 10–03–2008, कब–कब प्राप्त हुए हैं और इन पत्रों में वर्णित मोटर मार्गों पर बस सेवायें संचालित करवाने की दिशा में अब तक की कार्यवाही एवं हुई प्रगति का विवरण क्या है? क्या यह सत्य है कि प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून के द्वारा उक्त पत्रों पर की गई कार्यवाही की जानकारी नहीं दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों?	**परिवहन**
श्रीमती अमृता रावत 14–10–2008	**6.** क्या परिवहन मंत्री अवगत हैं कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के चौबट्टाखाल स्थित तहसील में सरकारी एवं निजी कार्यों के लिए पोखड़ा क्षेत्र के ग्रामीणों के लिए प्रातः एवं सायं आवागमन हेतु कोई नियमित बस सेवा संचालित नहीं है? यदि हां तो उक्त ग्रामीणों की सुविधा हेतु पोखड़ा से प्रातः चौबट्टाखाल होते हुए कोटद्वार तथा कोटद्वार से चौबट्टाखाल होते हुए पोखड़ा के लिए सायंकाल बस सेवा संचालित करने की दिशा में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण क्या है तथा कब तक प्रस्तावित बस सेवा का संचालन प्रारम्भ कर दिया जायेगा?	**परिवहन**
श्रीमती अमृता रावत 15–10–2008	**7.** क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत थनगड़–चोपड़ा नहर के खाण्डासैण तक विस्तार से ग्राम खाण्डा के अनुसूचित जाति के परिवारों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड देहरादून को सम्बोधित पूर्व केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री सतपाल महाराज का दिनांक 28 नवम्बर 2007 एवं दिनांक 31 दिसम्बर 2007 तथा दिनांक 18 अप्रैल 2008 के पत्र कब प्राप्त हुए हैं और इन पत्रों पर अब तक की गई कार्यवाही और उसके परिणामों का विवरण क्या है? क्या यह सत्य है कि थनगड़–चोपड़ा नहर का विस्तार खाण्डासैण तक किए जाने के बावजूद ग्राम खाण्डा के अनुसूचित जाति के परिवार सिंचाई सुविधा से वंचित हैं? यदि हां तो इसके प्रति कौन उत्तरदायी है? क्या सरकार उक्त परिवारों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायेगी? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?	**सिंचाई**
श्री सुरेन्द्र राकेश 15–10–2008	**8.** क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार के ब्लाक भगवानपुर में सिंचाई के साधन उपलब्ध कराने के लिए कोई कार्य योजना (प्रोजेक्ट) बनाई गयी है? यदि हाँ, तो कार्य योजना की स्वीकृति कब तक हो जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	**सिंचाई**

श्रीमती अमृता रावत 16–10–2008	**9.** क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र बीरोंखाल पौड़ी गढ़वाल की कतिपय पेयजल योजनाओं के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा मंत्री महोदय को लिखे गए पत्रों के सन्दर्भ में पत्रांक 7043 दि0 25/3/2008, 5996 दि0 14/3/2008, 5995 दि0 24/3/2008,5909 दि0 17/3/2008, 2272 दि0 16/7/2008, 5394 दि0 11/2/2008, 5043 दि0 29/1/2008, 5390 दि0 11/2/2008, 5394 दि0 4/2/2008, 2344 दि0 18/7/2007, 2272 दि016/7/2007 एवं 2344 द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों को दिए गए निर्देशों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? क्या मंत्री जी प्रगति का योजनावार विवरण सदन के पटल पर रखेंगे?	**पेयजल**
श्रीमती अमृता रावत 16–10–2008	**10.** क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र बीरोंखाल के अन्तर्गत मंत्री जी को सम्बोधित प्रश्नकर्ता के पत्रांक/698/विधायक/23–पेयजल/2007–08 दिनांक 10/03/08 के साथ प्रस्तुत 30 पत्रों की सूची में वर्णित पेयजल समस्याओं के समाधान एवं आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु की गई कार्यवाही और उसके परिणामों का योजनावार विवरण क्या है तथा कब तक वर्णित समस्याओं का समाधान कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	**पेयजल**
श्रीमती अमृता रावत 16–10–2008	**11.** क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र बीरोंखाल के अन्तर्गत पेयजल की विकट समस्या के आंशिक समाधान हेतु अब तक किन–किन स्थानों पर हैण्डपम्प स्थापित किए जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव/पत्र प्राप्त हुए हैं और अब तक किन–किन स्थानों पर हैण्डपम्प स्थापित कर, जलापूर्ति करवाई जा रही है? क्या यह भी सत्य है कि पूर्व में स्थापित अनेक हैण्ड पम्प एक लम्बी अवधि से खराब पड़े हुए हैं और उनसे जलापूर्ति भी ठप्प पड़ी हुई है? यदि हाँ, तो इन हैण्ड पम्पों के खराब होने की तिथि स्थल सहित विवरण क्या है तथा इन्हें ठीक करवाने में हुए विलम्ब के प्रति कौन उत्तरदायी है तथा कब तक इन खराब पड़े हैण्ड पम्पों को ठीक करा दिया जायेगा?	**पेयजल**
श्रीमती अमृता रावत 16–10–2008	**12.** क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र बीरोंखाल के विकास खण्ड पोखड़ा के अन्तर्गत चौबट्टाखाल ग्राम समूह (पम्पिंग) पेयजल योजना कब स्वीकृत हुई और इस योजना के निर्माण हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है तथा योजना में कौन–कौन से गांव/तोक सम्मिलित हैं? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि इस योजना के निर्माण हेतु अब तक कितनी धनराशि अवमुक्त की गई है और योजना की कार्य प्रगति का विवरण क्या है तथा कब तक योजना में प्रस्तावित गांवों को पेयजल सुविधा उपलब्ध करा दी जायेगी?	**पेयजल**

श्रीमती अमृता रावत 20—10—2008	**13.** क्या परिवहन मंत्री अवगत हैं कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत कोटद्वार—सतपुली—बाड़ियूं—बहेड़ाखाल—डांडानागराजा—घिण्डवाड़ा तक बस सेवाओं के संचालन हेतु परमिट जारी किए जाने के बावजूद भी अभी तक उक्त मार्ग पर नियमित बस सेवाओं का संचालन नहीं किया जा रहा है? यदि हाँ तो उक्त मार्ग पर नियमित बस सेवाएं संचालित न करने के लिए कौन उत्तरदायी है? कब तक उक्त मार्ग पर बस सेवाओं का संचालन प्रारम्भ कर दिया जायेगा? क्या यह सत्य है कि पौड़ी—कांसखेत—बाडियूँ—चोपड़ा—व्यासघाट मोटर मार्ग पर वर्षों से संचालित बस सेवा को बन्द कर दिया गया है? यदि हाँ तो क्या मंत्री जी अवगत हैं कि व्यासघाट—बाड़ियूँ क्षेत्र से बनेख घण्डियाल, कांसखेत, छजोलियाधार (कलजीखाल) अदवानी तथा टेका पौड़ी जाने वाले यात्रियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? यदि हाँ, तो व्यासघाट—बाड़ियूँक्षेत्र से बांघाट—कांसखेत—पौड़ी मार्ग पर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए क्या वैकल्पिक परिवहन व्यवस्था की गई है?	**परिवहन**
श्री नारायण पाल 20—10—2008	**14.** क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उ0सिं0 नगर के नानकमत्ता डाम में पानी का रिसाव हो रहा है? यदि हाँ तो उक्त रिसाव की रोकथाम के लिए विभाग द्वारा क्या व्यवस्था की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?	**सिंचाई**
श्री केदार सिंह रावत 21—10—2008	**15.** क्या बाल विकास एवं महिला सशक्तिकरण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2007 में विज्ञापित आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों व सेविकाओं के सभी पदों पर जनपद उत्तरकाशी में नियुक्तियां नहीं हुयी है? यदि हाँ, तो इसके लिए उत्तरदायी कौन है? क्या सरकार उत्तरदायी व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	**बाल विकास एवं महिला सशक्तिकरण**
श्री केदार सिंह रावत 22—10—2008	**16.** क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के टिहरी बाँध डूब क्षेत्र के गाँवों के मुआवजे संबंधी प्रकरणों के निस्तारण हेतु गत वर्ष मा0 सिंचाई मंत्री की अध्यक्षता में 13 सितम्बर 2007 को हुयी बैठक में 5 अक्टूबर 2007 तक प्रकरण निस्तारित करने का निर्णय लिया गया था? यदि हाँ, तो एक वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी अभी तक कोई कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं?	**सिंचाई**
श्रीमती विजय बड़थ्वाल 22—10—2008	**17.** क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत उच्चाकोट पम्पिंग पेयजल योजना एवं परिन्दा पम्पिंग पेयजल योजना से जलापूर्ति सुचारू रूप से संचालित नहीं है? क्या यह सत्य है कि उक्त योजना अत्यन्त क्षतिग्रस्त एवं जीर्ण—शीर्ण अवस्था में है? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त दोनों पेयजल योजनाओं के पुनर्गठन हेतु धन स्वीकृति करायेगी? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?	**पेयजल**

श्रीमती अमृता रावत 23–10–2008	**18.** क्या वन मंत्री अवगत हैं कि वित्तीय वर्ष 2007–08 में हिंसक वन जीवों द्वारा मारे गए व्यक्तियों, घायल किए गए व्यक्तियों तथा मारे गए पशुओं की क्षति का आठ लाख पच्चीस हजार की अनुग्रह राशि के बकाया भुगतान की जानकारी प्रश्नकर्ता के पत्रांक 837/विधायक/ 21– वन / 2008–09 दिनांक 30/5/08 द्वारा सरकार को दी गई है? यदि हाँ, तो उक्त अनुग्रह राशि के भुगतान की दिशा में अब तक की गई काय्रवाही और उसके परिणाम क्या है?	**वन**
श्री सुरेन्द्र राकेश 23–10–2008	**19.** क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड में गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष वन विभाग द्वारा जिलेवार कितने पौधे रोपित किये गये तथा पौध रोपण पर सरकार का कितना धन खर्च हुआ है? क्या मंत्री जी रोपित पौधों की स्थिति का पूरा विवरण सदन के पटल पर रखेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?	**वन**
श्री किशोर उपाध्याय 31–10–2008	**20.** क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि प्रदेश में, विगत दो वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं में कितने लोगों की मृत्यु हुई और कितने घायल हुये?	**परिवहन**
श्री चन्दन राम दास 03–11–2008	**21.** क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद बागेश्वर के मुख्यालय बागेश्वर में रोड़वेज डिपो खोलने पर सरकार विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	**परिवहन**
श्रीमती अमृता रावत **03–11–2008**	**22. आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के आधार पर निरस्त।**	**परिवहन**
श्रीमती अमृता रावत 03–11–2008	**23.** क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के बीरोंखाल ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना के तृतीय चरण के निर्माण हेतु धन अवमुक्त किए जाने के सम्बन्ध में मंत्री जी के पत्रांक 6412 दिनांक 2/5/08, पत्रांक 841 दिनांक 30/5/08 तथा पत्रांक 8019 दिनांक 10/7/08 पर शासन स्तर से अब तक की गई कार्यवाही और हुई प्रगति का विवरण क्या है तथा कब तक धन अवमुक्त कर दिया जायेगा? क्या यह भी सत्य है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल की चौबट्टाखाल ग्राम समूह पेयजल योजना के निर्माण हेतु धन अवमुक्त किए जाने के सम्बन्ध में मंत्री जी के पत्रांक 6411 दिनांक 2/5/08,पत्रांक 5909 दिनांक 17/3/08 और सचिव मुख्यमंत्री के पत्रांक GE/ 24942 / XXXV–1/2007(1) दिनांक 19/11/07 के सन्दर्भ में अब तक की गई कार्यवाही और प्रगति का विवरण क्या है तथा कब तक धन अवमुक्त कर दिया जायेगा?	**पेयजल**

श्रीमती विजय बड़थ्वाल 10–11–2008	**24.** क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत परिन्दा पम्पिंग पेयजल योजना से उन सभी गांवों में पेयजल आपूर्ति नहीं हो रही है, जिनको इस योजनान्तर्गत लाभान्वित होना था? यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा पेयजल समस्या से ग्रस्त गांवों की जलापूर्ति हेतु कोई पम्पिंग पेयजल योजना विचाराधीन है? यदि हाँ, तो कब तक इसका निर्माण कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	**पेयजल**
श्रीमती विजय बड़थ्वाल 10–11–2008	**25.** क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर जनपद पौड़ी गढ़वाल की रणचूला पम्पिंग पेयजल योजना में पेयजल आपूर्ति सूचारू रूप से नही हो रही है? क्या यह भी सत्य है कि पम्पिंग पेयजल योजना का जल रिर्जव टैंक ऊपर से खुला होने के कारण उसमें जानवर मरे पडे रहते है? यदि हॉ, तो क्या सरकार जिम्मेदार कर्मचारी/अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करेगी? यदि नही, तो क्यो?	**पेयजल**
श्री सुरेन्द्र सिंह जीना 21–11–2008	**26.** क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा में मानीला–बरकिण्डा पेयजल योजना हेतु वर्ष 2006 में कितनी वित्तीय स्वीकृति हुई है एवं उक्त योजना की वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष कितना कार्य पूर्ण हुआ है और कितना कार्य शेष है? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त पेयजल योजना के कब तक पूर्ण होने की सम्भवना है और कब तक क्षेत्रीय जनता को पेयजल उपलब्ध कराया जायेगा?	**पेयजल**
श्री सुरेन्द्र सिंह जीना 21–11–2008	**27.** क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा में रामगंगा–चमड़खान पेयजल योजना के लिए वर्ष 2006 में कितनी धनराशि स्वीकृत हुई है एवं उक्त योजना की वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष कितना कार्य पूर्ण हुआ है और कितना कार्य शेष है? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त पेयजल योजना का कार्य कब तक पूर्ण होने की सम्भावना है और कब तक क्षेत्रीय जनता को पेयजल उपलब्ध कराया जायेगा?	**पेयजल**

नत्थी "ग"

कार्यमंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 16 दिसम्बर, 2008 की बैठक में दिनांक 17 दिसम्बर, 2008 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है:–

दिसम्बर, 2008

17 बुधवार	1–	विधायी कार्य
	(1)	उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2008 पर विचार एवं पारण। **(15 मिनट)**
	(2)	उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975) (संशोधन) विधेयक, 2008 पर विचार एवं पारण। **(15 मिनट)**
	2–	वित्तीय कार्य
	(1)	वित्तीय वर्ष 2008–09 की प्रथम अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान।
	(2)	उत्तराखण्ड विनियोग (2008–09 का अनुपूरक) विधेयक 2008 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, विचार एवं पारण।